(57)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 635–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 199/2003–04/अपील माल.

---

बाबूलाल पुत्र रामलाल
निवासी हेमसिंह की परेड, ग्वालियर .....आवेदक

**विरूद्ध**

म0प्र0 शासन .....अनावेदक

---

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार (नजूल) द्वारा जांच कराये जाने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम लश्कर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1277 के रकबा 3X12=36 वर्गफीट पर मकान के साथ गोख बनाकर अतिकमण किया गया है । तहसीलदार (नजूल) द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 15–7–2003 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया । साथ ही रूपये 300/– अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–9–2003 को आदेश पारित कर तहसीलदार (नजूल) का आदेश स्थिर रखा

जाकर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–12–2005 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का मकान 50 वर्ष से भी पुराना होकर पुस्तैनी मकान है । यह भी कहा गया कि आवेदक का मकान नगर निगम की सीमा में आता है, इसलिए संहिता की धारा 248 लागू नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा विधिवत नगर निगम से अनुमति लेकर मकान का निर्माण किया गया है, जो कि अत्यंत पुराना है, अतः तहसीलदार (नजूल) द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही क्षेत्राधिकार रहित है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार (नजूल) के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार (नजूल) द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर विधिवत स्थल निरीक्षण कर जॉच की गई है, और जॉच में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जाना पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार (नजूल) द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित करने में विधि के प्रावधानों के अनुकूल कार्यवाही की गई है, और तहसीलदार (नजूल) के आदेश को स्थिर रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार (नजूल) को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि

प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना हुआ है, कारण शासकीय भूमि के संबंध में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही करने का तहसीलदार को पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर